



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक-1025/ कु०स०का० / सि०वि०वि० / 2026,

दिनांक- 12-10-2026

सेवा में,

1. प्रो० सुनीता त्रिपाठी,
नोडल अधिकारी, मिशन शक्ति,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्रचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों का विवरण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1086/सत्तर-3-2026-1860229 दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-358/6-पु०-15/1971640/2026 दिनांक 10-10-2026 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराया गया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासन्तिक नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-5 के द्वितीय चरण के प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान दिनांक 11 अक्टूबर, 2026 से शुभारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्त के संदर्भ में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों का संलग्न कार्ययोजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन/आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जाए एवं फोटो व वीडियोग्राफी की कराना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त के क्रम में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे तथा शासन के पत्र में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार फोटो व वीडियोग्राफी तथा सम्बन्धित कार्यक्रम की आख्या अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल आईडी० registrar@suksn.edu.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त सूचना ससमय शासन को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक- यथोपरि।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक- /तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ०प्र०।

4. डॉ० मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क
अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक,
उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 12 अक्टूबर, 2026

विषय:- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों का विवरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 358/6-पु०-15/1971640/2026, दिनांक 10.10.2026 (छायाप्रति संलग्न), का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासंतिक नवरात्र के पर्व पर 'मिशन शक्ति' के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान दिनांक 11 अक्टूबर, 2026 से शुभारम्भ किया जाए।

2- उक्त संदर्भित पत्र में प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों का संलग्न कार्ययोजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन/आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित कार्यक्रमों/कार्यवाहियों से सम्बन्धित फोटो व वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएं तथा प्रिण्ट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके साथ ही जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय की ई-मेल आई०डी०-1090 police@gmail.com पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा उक्त निर्देश के क्रम में सम्पन्न कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय की ई-मेल आई०डी०-1090 police@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

अतिमहत्त्वपूर्ण/प्राथमिकता
संख्या-358/6-पु0-15/1971640/2026

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग-15

लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2026

विषय: प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों का विवरण के सम्बंध में।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1/2026/6-15099/58/2025 दिनांक 19 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासंतिक नवरात्र के पर्व पर 'मिशन शक्ति' के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान दिनांक 11 अक्टूबर, 2026 से शुभारम्भ किया जाए।

2- 'मिशन शक्ति' अभियान में सम्मिलित समस्त विभागों द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों के सफल संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना की प्रति संलग्न है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र वर्ष 2026 में 'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों का संलग्न कार्ययोजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन / आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित कार्यक्रमों/कार्यवाहियों से सम्बन्धित फोटो व वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएं तथा प्रिण्ट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके साथ ही जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय की ई-मेल आईडी-1090 police@gmail.com पर उपलब्ध कराई जाए।

उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोक्त।

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 10-10-2026 22:25:47

भवदीय,
(संजय प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा/
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / ग्राम्य विकास / पंचायती राज / नगर विकास / युवा कल्याण/
राजस्व / महिला कल्याण/ संस्कृति /सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन / महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन , उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।
7. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक , उ0प्र0 ।
9. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुलकर्णी)
सचिव।

शारदीय नवरात्रि वर्ष 2026 में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यवाहियों का विवरण (कैलेण्डर)

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बिन्दु	दिनांक/ दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण
1.	भव्य पैदल मार्च	11/12.10.2026 (प्रथम अथवा द्वितीय दिवस)	अभियान का शुभारम्भ एक भव्य पैदल मार्च के साथ किया जाय, जिसमें मा० जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण तथा अलग-अलग विभागों जैसे पुलिस विभाग, पीआरडी, होमगाडर्स, आशाबहू, एएनएम, अध्यापक, महिला डाक्टर एवं नर्स तथा सफाई कर्मियों की महिला टोलियों के साथ स्कूल/कालेज के छात्राओं की वाहिनियां बनाकर एक लम्बा पैदल मार्च प्रमुख स्थानों से निकाली जाय। इस मार्च में महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर्स, एल०ई०डी० वाहन द्वारा लघु फिल्मों का प्रदर्शन व अन्य सजावट तथा प्रेरणदायी संगीत को भी सम्मिलित किया जाय।
2.	महिला सुरक्षा सम्बन्धी एक भव्य सम्मान/ जागरूकता कार्यक्रम	12/13.10.2026 (द्वितीय/तृतीय दिवस)	प्रदेश के सभी कमिश्नरेट/जनपदों के पुलिस लाइन या अन्य किसी उचित सार्वजनिक स्थान पर महिला सुरक्षा सम्बन्धी एक भव्य कार्यक्रम का (निर्धारित दिवस में) आयोजन कराया जाय। जिसमें जनपद स्तर पर बहादुरी का कार्य करने वाली महिलाओं/बालिकाओं, प्रतिष्ठित महिला खिलाड़ियों, विभिन्न स्कूल/कालेजों की टापर्स छात्राओं, सराहनीय कार्य करने वाली दिव्यांग महिलाओं/ बालिकाओं, महिला डाक्टर/नर्स/महिला शिक्षकों/ एन०जी०ओ० में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं/ बालिकाओं/छात्राओं को आमन्त्रित कर उनके विशिष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर महिला सम्बन्धी विभागों के सहयोग से आयोजित करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण भी कराया जाय।
3.	ट्रैफिक संचालन के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम	13.10.2026 (तृतीय दिवस)	प्रत्येक कमि०/जनपद में यातायात निदेशालय के सहयोग से महिला पुलिस कर्मियों के साथ एन०सी०सी० की महिला कैडेट्स द्वारा मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक संचालन कराया जाय।
4.	नारी संरक्षण गृह/ आश्रय गृह में भ्रमण व खाद्य सामग्री इत्यादि का वितरण	14.10.2026 (चतुर्थ दिवस)	नारी संरक्षण गृह/आश्रय गृह में राजपत्रित अधिकारियों व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ भ्रमण कर दीपावली से सम्बन्धित सामग्रियों, खाद्य सामग्री, यदि सम्भव हो तो साड़ी इत्यादि का वितरण कराया जाय।

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बिन्दु	दिनांक/ दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण
5.	छात्राओं के लिये कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन	15.10.2026 (पांचवां दिवस)	प्रत्येक कमिश्नरेट/जनपद के किसी केन्द्रित मुख्य स्थान पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समन्वय से "मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना" के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं छात्राओं को योजना से जोड़ने हेतु कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन कराया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक स्कूलों/कॉलेजों के छात्र/छात्राओं को आमंत्रित किया जाय। कार्यक्रम में छात्राओं को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन एवं कोचिंग की जानकारी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/अन्य भर्ती बोर्डों की प्रतियोगी परीक्षाओं, JEE Main, NEET, NDA, CDS, बैंकिंग, SSC, B-Ed, TET तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय-विशेषज्ञों, विशेषकर महिला अधिकारियों (जो उक्त सेवाओं के सफल कार्मिक हों) एवं अभ्युदय योजना से जुड़े प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, परीक्षा की तैयारी की रणनीति तथा उपलब्ध शैक्षिक एवं कैरियर अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
	साइबर सुरक्षा के सम्बन्ध में एक वृहद कार्यशाला		साइबर सुरक्षा के सम्बन्ध में एक वृहद कार्यशाला का आयोजन सभी कमि०/जनपदों द्वारा अलग-अलग अथवा केन्द्रीय रूप से इस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा, जिसका प्रसारण यूपी पुलिस के ऑफिसियल यूट्यूब/सोशल मीडिया चैनल पर प्रसारित कराते हुए लिंक सभी कमि०/जनपदों को प्रेषित किया जायेगा। लिंक के माध्यम से इस प्रसारण को स्कूल/कालेजों तथा अन्य सम्बन्धित संस्थानों में प्रसारित कराया जायेगा।
6.	मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा सम्मान/फीडबैक कार्यक्रम	16.10.2026 (छठा दिवस)	मिशन शक्ति केन्द्र/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा सफलतापूर्वक निस्तारण कराये गए पारिवारिक प्रकरणों के अभिभावकों/परिवारीजनों को बुलाकर सम्मानित किया जाय व फीडबैक लिया जाय।
7.	पिंक (समाधान दिवस)/मिशन शक्ति तहसील दिवस का आयोजन	17.10.2026 (सातवां दिवस)	प्रदेश में प्रचलित तहसील दिवस की भांति जिलाधिकारी के समन्वय से एक स्पेशल पिंक (समाधान दिवस)/मिशन शक्ति तहसील दिवस का आयोजन किया जाय, जिसमें विशेषकर महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराकर उसके उदाहरण स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से प्रसारित कराया जायेगा। नवरात्रि की अवधि में पड़ने वाले शनिवार को विशेष रूप से पिंक तहसील दिवस के रूप में आयोजित किया जाय।
8.	बाल विवाह एवं	18.10.2026 (आठवां दिवस)	जनपद के सभी एएचटी थानों द्वारा डीपीओ, लोकल एनजीओ

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बिन्दु	दिनांक/ दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण
	अन्य कुरीतियों के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम		तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के सहयोग से किसी एक ग्राम में जहां बाल विवाह की अधिक समस्या हो, वहां नुक्कड़ नाटक तथा "बढ़ते बच्चों" लघु फिल्म की स्क्रीनिंग के माध्यम से बाल विवाह एवं अन्य कुरीतियों के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाय। यह कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक कमि०/जनपद में एक ही दिन कराया जायेगा।
9.	एसिड अटैक सर्वाइवर्स के प्रोत्साहन एवं हैण्ड होल्डिंग कार्यक्रम	19.10.2026 (नौवां दिवस)	एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०) में आमंत्रित कर प्रोत्साहन एवं हैण्ड होल्डिंग कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें उनके प्रकरण की अद्यतन जानकारी, वर्तमान में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के समक्ष आ रही प्रमुख समस्याओं आदि के सम्बन्ध में इन्ट्रैक्शन प्रस्तावित है। कार्यक्रम में एसिड अटैक विक्टिम्स को घटना के बाद सहयोग देने के लिए उत्तरदायी अन्य पार्टनर डिपार्टमेन्ट्स के साथ इस क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख NGOs एवं Support groups को भी आमंत्रित किया जायेगा।
10.	एक मिशन शक्ति केन्द्र को मॉडल मिशन शक्ति केन्द्र के रूप में विकसित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम	20.10.2026 (दसवां दिवस)	प्रत्येक कमिश्नरेट/जनपद में एक मिशन शक्ति केन्द्र को मॉडल मिशन शक्ति केन्द्र के रूप में विकसित करते हुए उक्त केन्द्र पर एक समेकित कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसमें शासकीय योजनाओं से लाभान्वित एवं पात्र महिलाओं के साथ चौपाल, अधिक से अधिक स्कूलों/कॉलेजों के छात्राओं, एनजीओ, महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता एवं जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ मिशन शक्ति केन्द्र के कार्यो, उपलब्ध सेवाओं एवं महिलाओं/बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी जाए।
11.	पूजा पण्डालों व रामनवमी में महिला चौपाल का आयोजन कर जनजागरूकता	नवरात्रि के प्रत्येक दिवस	शारदीय नवरात्रि की अवधि के दौरान विभिन्न मन्दिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाय। पूजा पण्डालों व रामनवमी में महिला चौपाल का आयोजन कर महिलाओं से सम्बन्धित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व हेल्पलाइन से सम्बन्धित पैम्फलेट वितरित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
12.	स्टंटबाजी करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान	प्रतिदिन	वाहनों में ब्लैक फिल्म एवं हूटर के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी करने वालों के विरुद्ध मौके पर ही वैधानिक कार्यवाही करायी जाय।
13.	एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा टास्क निर्धारित कर सघन अभियान	प्रतिदिन	एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा सार्वजनिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, स्कूल/कालेज/पार्क/मेला स्थलों पर टास्क निर्धारित कर सघन अभियान चलाते हुए मनचलों/पेशेवर शोहदों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्य हेतु तैनात किये जाने वाले पुलिस कर्मियों की काउन्सलिंग करते हुए उन्हें जनसामान्य के साथ मर्यादित

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बिन्दु	दिनांक/ दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण
			व्यवहार के लिए भी निर्देशित कर दिया जाए। इसके साथ ही पिछले 06 महीनों में चिन्हित किये गये शोहदों की सर्किल स्तर पर पेशी करायी जाय।
14.	परिवार न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मनों का शत प्रतिशत तामीला	प्रतिदिन	परिवार न्यायालय से समन्वय स्थापित कर घरेलू विवाद एवं गुजारा भत्ता के प्रकरणों से सम्बन्धित मा० न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मनों की सूची प्राप्त कर निर्गत सम्मनों का शत प्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराया जाय।
15.	प्राइवेट टैक्सी वाहनों की चेकिंग एवं सत्यापन	प्रतिदिन	प्रदेश के प्रत्येक कमि०/जनपद में ई-रिक्षा, ओला, उबर, इत्यादि एवं प्राइवेट टैक्सी वाहनों की चेकिंग व सत्यापन सम्बन्धी कार्यवाही करायी जाय।
16.	महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल का आयोजन	प्रतिदिन	महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियान अवधि के दौरान क्षेत्र के समस्त ग्राम/वार्ड में जाकर छात्राओं/महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व हेल्प लाइन नम्बर से सम्बन्धित पैम्फलेट/फोल्डर वितरित करते हुए चौपालों का आयोजन कर व्यापक जनजागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जाय।